राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

भोमाराम बनाम कन्हैयालाल

तारीख हुक्म	1064/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 25/02/2026 को पेश हो।	
25/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत दुरुस्ती इन्द्राज, घोषणा खातेदारी हक़ एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीगण ग्राम जोधूला के रहने वाले है, जहां वादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 621 रकबा 9 बिस्वा, 622 रकबा 9 बिस्वा, 624 रकबा 6 बिस्वा, 625 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 27 बिस्वा दीगर आराजी के साथ स्थित रही है, जिसकी खातेदारी वादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता छींतर एवं अन्य सहखातेदारों के नाम दर्ज रिकार्ड रही है। हाल सैटिलमेंट दौरान वादीगण की उक्त आराजी से नये नम्बर बनाते समय साबिक नम्बर 621 रकबा 9 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 922/0.10 हैक्टेयर, साबिक खसरा नम्बर 622 रकबा 9 बिस्वा, 624 रकबा 6 बिस्वा, 625 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 18 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 923/0.21 हैक्टेयर साये गये है। वादीगण की उक्त आराजी जिसका साबिक रकबा 27 बिस्वा था से मीट्रिक प्रणाली के अनुसार हाल सैटिलमेंट के दौरान नया रकबा 0.34155 हैक्टेयर बनाया जाना चाहिए था. परन्तु हाल सैटिलमेंट कर्मचारियों ने वादीगण की भूमि के साबिक रकबे 27 बिस्वा से नया रकबा 0.31 हैक्टेयर बनाया, जो साबिक रकबे की तुलना में 0.03155 हैक्टेयर कम है, जबकि आज भी वादीगण मौके पर साबिक हुए प्रतिवादीगण की भूमि साबि खस्रा नम्बर 612 रकबा 3 बिस्वा, 613 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा यानी 31 बिस्वा भूमि रही है, जिसका मीट्रिक प्रणाली से रकबा 0.39215 हैक्टेयर बनता है, परन्तु हाल सैटिलमेंट कर्मचारियों ने मौका स्थिति के विपरीत प्रतिवादी की खातेदारी भूमि साबिक खसरा नम्बर 612, 613 से बने हाल खसरा नम्बर 921/0.47 हैक्टेयर का साबिक रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा यानी 0.39215 हैक्टेयर से 0.07785 हैक्टेयर ज्यादा बनाकर दिखाया है। इस प्रकार जहां वादीगण का रकबा साबिक रकबे से लगभग 3 एयर कम करके दिखाया है, वहीं प्रतिवादी की खातेदारी भूमि को लगभग 8 एयर ज्यादा करके दिखाया है। वादीगण एवं उनके सहखातेदारों के मध्य हुए बंटवारे के मुताबिक हाल खसरा नम्बर 922, 923 वादीगण के हिस्से में आये हुए है। उसी प्रकार वादीगण की	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भोमाराम बनाम कन्हैयालाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1064/2017		

भूमि हाल खसरा नम्बर 922, 923 से लगता हुए खसरा नम्बर 921 प्रतिवादी एवं उनके सहखातेदारों के मध्य हुए आपसी बंटवारे के आधार पर प्रतिवादी के बंट में आया हुआ है एवं खातेदारी भी पृथक-पृथक हो चुकी है, जिससे उनके खिलाफ किसी तरह की रिलीफ नहीं चाही गई है। दावा दायरी के अर्सा 2 माह पूर्व प्रतिवादी, जब वादीगण के डोले की भूमि को काटकर अपने खेत में मिलाने लगे तो वादीगण ने प्रतिवादी को डोला काटने से रोकना चाहा तो प्रतिवादी, वादीगण के साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये तथा वादीगण से कहने लगे की हमारे खाते में ज्यादा जमीन है, जो तुम्हारी तरफ से मिलाकर पूरी करेगे, जिस पर वादीगण ने संबंधित रिकार्ड की नकले निकलवाई तो पता चला कि प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि साबिक की तुलना में 8 एयर ज्यादा है एवं वादीगण की भूमि 3 एयर कम है जिससे रिकार्ड दुरूस्त कराना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादीगण, वादीगण की खातेदारी भूमि हाल सैटिलमेंट में कम कर देने का अनुचित फायदा उठाकर वादीगण के खेत की मैंड तोडकर वादीगण की खातेदारी भूमि को अपनी भूमि में मिला लेने में सफल हो गये तो वादीगण को अनावश्यक मुकदमे बाजी में फंसना पडेगा, तथा वादीगण को जो हानि होगी उसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से धन राशि में संभव नहीं होगी, अतः प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराना आवश्यक हुआ है कि प्रतिवादीगण, वादीगण की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें। अतः निवेदन है कि वादीगण को भूमि ग्राम जोधूला के हाल खसरा नम्बर 921 रकबा 0.03 हैक्टेयर उत्तरी भाग पूर्व-पश्चिम लम्बाई का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं तद्नुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शे में तरमीम करायी जावे एवं उक्त भूमि का पृथक से नम्बर कायम कराया जाकर प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से नाम हटाया जावे अन्यथा में वादीगण के हाल खसरा नम्बर 922, 923 का हाल रकबा साबिक खसरा नम्बर 621, 622, 624, 625 के कुल रकबा 27 बिसवा के बराबर 0.34 हैक्टेयर कराया जाकर प्रतिवादी के हाल खसरा नम्बर 921 का रकबा 0. 03 हैक्टेयर कम कराया जाकर रिकार्ड दुरूस्त कराया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण को उक्त आराजी का। शान्तिपूर्वक उपयोग-उपभोग करने देवें, वादीगण के कब्जा काश्त में किसी तरह की बेजा दखल नहीं करें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादी के अधिवक्ता अधिस्न्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आकर जवाब वाद पेश किया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कर तनकीवार निर्णय व डिक्री दिनांक 11/10/2017 पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	भोमाराम बनाम कन्हैयालाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1064/2017		

करते हुये वादीगण का वादपत्र सारहीन होने से ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों की विस्तुत रूप से विवेचित करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित्त एवं आवश्यक प्रतीत नही होता है |

अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 11/10/2017 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 25/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |